नम्बर व तारीख आ
जो इस हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **अशोक कुमार असीजा** आर.ए.एस.

अपील सं. 37 / 2018

अनवानः—

रमेश कुमार पुत्र मेहर चन्द जाति जांट सा बिजारणिया वाली ढाणी तह0 हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार)राजस्व) हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 07 दिनांक 09.02.1983 ।

उपस्थितः— 1 श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —30.04.2019

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के नाम चक 1 एडब्ल्युएसएम पटवार हल्का किशनपुरा दिखनादा के प0नं0 136 / 338 कि0नं0 9 ता 12,19,20 कि0नं0 21 / 2,22 / 2 के 1.974 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांट के रकबा में रेस्पो0 द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल इस आश्य का दर्ज किया कि अपीलांट के रकबा प0नं0 136 / 338 कि0नं0 1,10,11,20,21 में प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ता का अंकन दर्ज किया जो कि एसीसी साहब हनुमानगढ के आदेश दिनांक 02.1.83 की पालना में दर्ज किया गया जबकि मौका रिकार्ड मे कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ना ही मौका पर रास्ता चालू है। अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी हैः—

क— कि अपीलाधीन इन्तकाल विधि विरूद्ध दर्ज किया है जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिजी के है।

ख— कि अपीलाधीन इन्तकाल में वर्णित कृषि भूमि प0नं0 136 / 338 कि0नं0 6 ता 25 अपीलांट के दादा की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें प0नं0 136 / 338 कि0नं0 21 ता 25 में रास्ता का अंकन है जो कि मौका पर चल रहा है, शेष भूमि खातेदारी है जिसमें अपीलांट को प0नं0 136 / 338 कि0नं0 9 ता 12 ,19,20,21 / 2,22 / 2 कुल 1.974 है0 भूमि पर निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु रेस्पोडेंट ने बिना किसी बैध आदेश के अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज कर दिया जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिले

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिपोर्ट प्राप्त नहीं की ना ही अपीलांट अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज करते वक्त सुनवाई का मौका दिया गया।अपीलाधीन इन्तकाल एकतरफा व विधि विरूद्ध होने के काबिले खारिजी के है।

घ–कि अपीलाधीन इन्तकाल ए.सी.सी. हनुमानगढ के आदेश दिनांक 9.2.83 के अनुसरण में दिया गया है जिसमें अपीलांट हितबद्ध पक्षकार था। अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया ना ही कभी सुनवाई हेतु सम्मनित किया गया। अपीलाधीन इन्तकाल में बिना विधिक प्रकिया अपनाकर विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है जो काबिले खारिजी के है। जबकि किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश रेस्पो0 को प्राप्त नहीं हुए थे किन्तु इसके बावजूद भी विधि विरूद्ध इन्तकाल दर्ज कर दिया जो काबिल खारिजी के है।

अपीलांट के प्रश्नगत रकबा चक 1 एडब्ल्युएसएम के प0नं0 136/338 कि0नं0 10,11,20,21 का राजस्व रिकार्ड दिनांक 27.7.16 के अनुसरण में दर्ज हुआ है। अपीलांट को उक्त रकबा विभाजन में प्राप्त हुआ है व मौका पर कब्जा काश्त चला आ रहा है व मौका पर प्रश्नगत भूमि में कोई रास्ता चालू नहीं है, किन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 द्वारा प्रश्नगत भूमि में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन कर अंकन के अनुसरण में रास्ता निकालने के लिए दिनांक 6.8.18 को पटवार हल्का को सूचित किया तो अपीलांट ने वर्तमान जमाबंदी रकबा की प्राप्त की व अपीलाधीन इन्तकाल की नकल के लिए दिनांक 8.8.18 को प्रा0पत्र दिया तो नकल अपीलांट को दिनांक 9.8.18 को नकल शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा अपीलांट को बताया गया कि प्रश्नगत इन्तकाल की पत्रावली की तलाश की जा रही है। अपीलाधीन इन्तकाल की पत्रावली कार्यालय में मिलने की उम्मीद है, उसके बाद ही अपीलांट को अपीलाधीन इन्तकाल की नकल दी जावेगी। शाखा प्रभारी द्वारा प्रार्थी का प्रा0पत्र दिनांक 20.8.18 को अपीलाधीन इन्तकाल की पत्रावली व इन्तकाल की प्रति नहीं होने का अंकन कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रा0पत्र दिनांक 10.8.18 के अनुसरण में प्रार्थी/अपीलांट को खारिज प्रा0पत्र की प्रमाणित प्रति दिनांक 21.8.18 को शाम लगभग 5.30 बजे प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट ने अगले दिनांक हनुमानगढ न्यायालय में अपने अधिवक्ता को प्रति दिखलाई तो अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी जिसके लिए फीस आदि की व्यवस्था करने के लिए अपीलांट को दो दिन का समय लग गया। आज अपीलांट अविलम्ब श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसके लिए अपील प्रस्तुत करने में लगा विलम्ब क्षमा करने बाबत प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन इन्तकाल खारिज फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलाधीन रिकार्ड तहसीलदार हनुमानगढ से तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलाधीन इन्तकाल में एसीसी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 02.1.83 का हवाला दिया गया है वह सलंग्न नहीं है। इन्तकाल दर्ज होने के बाद आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं है। अपीलाधीन इन्तकाल में दर्ज रास्ता की भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में है। वर्ष 1984 में 15 एएए काश्तकारी अधिनियम के तहत 24.10 बीघा की खातेदारी दी गयी। रास्ता कटान होने पर 24

राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में तर्क किये कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। इनके दादा पक्षकार थे। अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत ना कर तृतीय पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत की गयी है। मा0 न्यायालय से धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अनुमति लेनी चाहिए थी जो अपीलांट द्वारा नही ली गयी है। अपीलाधीन इन्तकाल वर्ष 1983 में दर्ज हुआ । अपीलांट के नाम भूमि वर्ष 2016 में आयी। अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया । अपील मीमो के तथ्य सही दर्ज नहीं किये गये हैं क्योंकि उस समय अपीलांट था ही नहीं । अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र भी सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रा0पत्र में एक एक दिन की देरी का अंकन किया जाना चाहिए जो अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है । वर्ष 2016 में अपीलांट के पिता मेहर चंद के विरूद्ध स्थानीय काश्तकारों ने प्रा0पत्र दिया कि वह निर्माण कर रहा है उसको रूकवाया जावे। इस प्रा0पत्र के विरूद्ध अपीलांट का पिता सिविल कोर्ट में गये। सिविल कोर्ट में दावा क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किया गया । अपीलांट के पिता ने ग्राम न्यायालय के फैसले के विरूद्ध मा. न्यायालय जिला सत्र एवं सैशन न्यायधीश हनुमानगढ में अपील दायर की गयी जो एडमिशन स्तर पर ही खारिज कर दी गयी। उस समय से ही अपीलांट को ज्ञान था। अपीलांट का यह कथन बिल्कुल निराधार है कि उसे इस रास्ता की भूमि बाबत विवाद का ज्ञान नहीं था। इसलिए अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस के विरोध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि उसे धारा 96 सी.पी.सी. का प्रा0पत्र अपील मीमो के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

बहस पर मनन किया गया एवं अपीलाधीन इन्तकाल का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन इन्तकाल सं0 07 जो दर्ज किया गया है वह एक से अधिक मुरब्बा में रास्ता स्वीकृति का अंकन किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने बाबत जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय को माफ कर अपील अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया गया है उसमें पूर्ण विवरण दिनांक वार अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट के पिता के विरूद्ध चक 1 ए.डब्ल्यु.एस.एम. के काश्तकार सतवीर पुत्र जगदीश जाति जाट सा. बिजारणियांवाली ढाणी द्वारा तहसोलदार हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 17.8.16 को एक प्रा0पत्र पेश कर प0नं0 136/338 कि0नं0 10.11.20.21 में मंजूर शुद्धा रास्ता में किसी प्रकार का निर्माण करके बाधा उत्पन्न न करने हेतु आदेश देने तथा इन्तकाल सं0 7 का जमाबंदी इन्द्राज हेतु आदेश दिये जाने बाबता पेश करने पर तहसीलदार हनुमानगढ को प्रा0पत्र ही मार्क किया कि पटवारी हल्का से रिपोर्ट जी जावे। मंजूरा शुद्धा रास्ता है तो उसे खुलवाने हेतु पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 को निर्देशित किया जावे। मंजूरशुद्धा रास्ते पर यदि निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उसे रोका जावे। इसके बाद अपीलांट के पिता मेहर चंद ने मा0 न्यायालय ग्राम न्यायालय हनुमानगढ में दीवान वाद सं0 20/16 प्रस्तुत किया गया। जिसका निर्णय दिनांक 24.7.18 को पारित किया गया । निर्णयानुसार प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी/अप्रार्थी का वाद बाबत शाश्वत आदेश अस्वीकार कर निरस्त किया गया है। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में दीवानी वाद वर्ष 2016 में प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि अपीलांट को इस बाबत जानकारी वर्ष 2016 से ही थी। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील मियाद बाहर शुमार की जाती है।

गुणावगुण के अनुसार भी देखा जाये तो रास्ता की सुविधा प्रत्येक काश्तकार को उसके सुखाधिकार के लिए मिलनी चाहिए। रास्ता एक सुखाधिकार की श्रेणी में आता है। अपीलांट को जिस आदेश से प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज हुआ है उसकी अपील करनी चाहिए थी जबकि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल की अपील प्रस्तुत की गयी है। हस्तगत इन्तकाल में कोई राहत इस स्तर पर अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। साथ ही अपीलांट को तृतीय पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने बाबत प्रा0पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिए थी परन्तु अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसो का प्रा0पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आजा दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.4.19

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official